

बिहार सरकार

श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग

बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति

आदेश

बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना 2011 के अंतर्गत श्रम अधीक्षक, भागलपुर क ज्ञापांक (कॉलम 4 में वर्णित) 01 श्रमिक के स्वाभाविक मृत्यु के उपरांत उनके आश्रित को रु० 30,000/- (तीस हजार रुपए) तथा 01 दुर्घटना मृत्यु के उपरांत उनके आश्रित को रु० 1,00,000/- (एक लाख रुपए) एवं बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा (संशोधन) 2024 के अंतर्गत 02 श्रमिकों के स्वाभाविक मृत्यु के उपरांत उनके आश्रितों को रु० 50,000/- (पचास हजार रुपए) प्रति कामगार की दर से रु० 1,00,000/- (एक लाख रुपए) तथा 03 दुर्घटना मृत्यु के उपरांत उनके आश्रितों को रु० 2,00,000/- (दो लाख रुपए) प्रति कामगार की दर से रु० 6,00,000/- (छः लाख रुपए) अर्थात् कुल राशि रु० 8,30,000/- (आठ लाख तीस हजार रुपए मात्र) अनुदान की स्वीकृतोपरांत राशि विगुक्ति हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। प्रस्ताव के आलोक में मृतक/दावेदार कामगारों के आश्रिता को स्वीकृत राशि की विमुक्ति का आदेश दिया जाता है। मृतक/दावेदार कामगारों/शिल्पकारों का नाम, उनके आश्रितों का नाम एवं पता तथा बैंक लेखा संख्या निम्नांकित है:-

क्र.सं.	मृतक/दावेदार का नाम, उग्र, पिता/पति का नाम, कोटि	आश्रित का नाम (संबंध)	श्रम अधीक्षक का पत्रांक/दिनांक	पता एवं गो० न०	आश्रित का बैंक खाता संख्या	बैंक एवं शाखा का नाम, आई. एफ. एस. सी	स्वीकृत अनुदान की राशि	मृत्यु/ निःशक्ताता का व्यौरा, कार्य की प्रकृति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	स्व० उमेश राह, 54, गहावीर राह, अत्यंत पिछड़ा वर्ग	बबीता देवी (पत्नी)	691 00.05.2026 एवं 244 20.02.2026	ग्राम-शिवनंदनपुर, पो०-गराही, थाना-प्र०-सुलतानगंज, जिला-भागलपुर 7759905519	12433 21102 4521	UCO BANK UCBA00 01243	रु० 50,000/- (पचास हजार रुपए)	स्वाभाविक मृत्यु, राजगिरिजी का हेल्पर
2	स्व० गो० राने आलग, 10, गो० शाहीन प्रवेज, सागान्य वर्ग	बेबी निगर (गाता) गो० शाहीन प्रवेज (पिता)	434 25.03.2026 एवं 2467 31.12.2025	ग्राम-टिकिया टोली लेन काजबलीधक, पो०-थाना-ततारपुर, प्र०-जगदीशपुर, जिला-भागलपुर 9834279787	34730 20109 46231 01930 11010 4446	UNION BANK UBIN05 34731 UCO BANK UCBA00 00193	रु० 100,000/- (एक लाख रुपए) रु० 100,000/- (एक लाख रुपए)	दुर्घटना मृत्यु, (राइक दुर्घटना के कारण) फेरीवाला का कार्य
3	स्व० विकारा कुमार, 22, सरिकलाल राह, अत्यंत पिछड़ा वर्ग	सरिकलाल साह (पिता)	243 20.02.2026 एवं 2340 12.12.2025	ग्राम-पोखरिया, पो०-सुकटिया बाजार, थाना-प्र०-गोपालपुर, जिला-भागलपुर 8404905176	10313 21117 5377	UCO BANK UCBA00 01031	रु० 100,000/- (एक लाख रुपए)	दुर्घटना मृत्यु, (दिजली करंट लगने के कारण) गवन निर्माण में श्रमिक का कार्य
4	स्व० रणवीर कुमार यादव, 30, रागकुमार यादव, अत्यंत पिछड़ा वर्ग	नीतु देवी (पत्नी)	243 20.02.2026 एवं 2355 12.12.2025	ग्राम-चंधेरी, पो०-सबौर थाना-प्र०-सबौर, जिला-भागलपुर 7004343854	20432 43902 7	SBI SBIN001 1805	रु० 30,000/- (तीस हजार रुपए)	स्वाभाविक मृत्यु, गकान में गजदूरी का कार्य
5	स्व० रोहित कुमार, 26, नरेश पारावान, अत्यंत अनुसूचित जाति	आशा देवी (गाता)	243 20.02.2026 एवं 2422 20.12.2025	ग्राम-पो०-विशानपुर जिच्छो, थाना-लोदीपुर, प्र०-गोराडीह जिला-भागलपुर 7257907707	60540 45319 6	BOM MAHB0 001599	रु० 200,000/- (दो लाख रुपए)	दुर्घटना मृत्यु, (राइक दुर्घटना के कारण) पेंटर का कार्य
6	दीपक कुमार चौधरी, 33, महेश चौधरी, पिछड़ा वर्ग	दीपक कुमार (स्वयं)	243 20.02.2026 एवं 2426 22.12.2025	ग्राम-दिवाकर कित्ता, पो०-पचरुखी, थाना-प्र०-शाहकुण्ड, जिला-भागलपुर 9006070998	34700 11002 6366	UCO BANK UCBA00 03470	रु० 50,000/- (पचास हजार रुपए)	स्थायी आंशिक निःशक्ताता (पूर्ण रूप से एक हाथ से विकलांग) राजमिस्त्री का हेल्पर

7	रव० रान्नी कुमार, 21, अशोक सिंह, अल्पत पिछड़ा	अनिशा देवी (माता)	243 20.02.2026 एवं 2441 23.12.2025	ग्राम-मिलीक गरमूडीह, पो०-श्रीमतपुर, थाना-अमडंडा, अंचल-रान्हीला, जिला-भागलपुर 8797417484	60541 78736 7	BOM MAHB0 001599	रु० 200,000/- (दो लाख रुपए)	दुर्घटना गृह्य (सड़क दुर्घटना के कारण) कृषक गजदूरी
---	--	----------------------	--	---	---------------------	------------------------	--------------------------------------	---

कुल :-रु 8,30,000/-

(आठ लाख तीस हजार रुपये मात्र)

2. उक्त राशि भारतीय स्टेट बैंक, नियोजन भवन शाखा, पटना में पोषित बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति के बचत खाता संख्या 37062727316 से "बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सागाजिक सुरक्षा योजना, 2011/बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सागाजिक सुरक्षा योजना (संशोधन) 2024 के सहायक अनुदान इकाई से विकलनीय होगी।

3. उपरोक्त स्वीकृत राशि (कॉलम नं० 8) का भुगतान RTGSके माध्यम से सीधे कॉलम नं० 3 में अंकित आश्रित के बैंक खाते कॉलम 6 में किया जाएगा।

4. प्रस्ताव पर अपर मुख्य सचिव-सह-सभापति, कार्यकारिणी समिति, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

(रोहित कुमार)

मुख्य वित्त पदाधिकारी

ज्ञाप संख्या :-श्रम क०सं०-32/2025(अंश) - 145

प्रतिलिपि :- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, नियोजन भवन शाखा, पटना, उपरोक्त आदेश के कॉलम 3 में अंकित आश्रित को उनके नाम के सामने अंकित खाता संख्या में कॉलम नं० 8 में स्वीकृत राशि RTGSके माध्यम से अन्तरित करना सुनिश्चित करेंगे। यदि किसी कारण राशि का अंतरण नहीं हो पाता है तो इसकी सूचना अविलंब मुख्य वित्त पदाधिकारी, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति, नियोजन भवन को देंगे/लेखा शाखा, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति, बिहार, पटना, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग को सूचनार्थ प्रेषित। निदेशित है कि उक्त कुल स्वीकृत राशि रु० 8,30,000/- (आठ लाख तीस हजार रुपए मात्र) बैंक से अंतरण के पश्चात् लेखा संधारण करना सुनिश्चित करेंगे/श्रम अधीक्षक, भागलपुर/उप श्रमायुक्त, भागलपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित/आईटी0 मैनेजर, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग (विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित/माननीय मंत्री के आप्त सचिव, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।

Signed by Rohit Kumar

Date: 05-06-2026 14:58:20

(रोहित कुमार)

मुख्य वित्त पदाधिकारी

ह०/-

(राजेश भारती)

कार्यकारी निदेशक

पटना, दिनांक :- 11.6.2026

Rajesh Bhaarti

(राजेश भारती)

कार्यकारी निदेशक